क्रम–संख्या–67

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 4 मार्च, 2014

फाल्गुन 13, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 335/79-वि-1–14-1(क)-8-2014

लखनऊ, 4 मार्च, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 4 मार्च, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) अधिनियम, 2014

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1–यह विधेयक उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 संक्षिप्त नाम कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2010 का निरसन

2–उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्य और कारण

कुशल कर्मकार तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने, परम्परागत शिक्षा की धारा से विद्यालय छोड़ने वाले छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें अवसर प्रदान करने, जिससे कि उन्हें उपयुक्त रोजगार के योग्य बनाया जा सके, उच्च अर्हता प्राप्त किन्तु बेरोजगार व्यक्तियों को उनकी विशाल संख्या को कम करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर देने, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालने, कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के कारण उसमें कम हो रहे रोजगार के अवसरों के निमित्त बेरोजगार व्यक्तियों को विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना एवं गठन करने के लिये उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2010) अधिनियमित किया गया था। चूँकि उक्त अधिनियम में प्राविधानित परिषद् के कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन यथार्थरूप से सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, अतः उक्त अधिनियम के अधीन व्यावसायिक परीक्षा परिषद् की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

आज्ञा से,
एस0 बी0 सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 335(2)/LXXIX-V-1–14-1(Ka)-8-2014

Dated Lucknow, March 4, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyavasayik Shiksha Evam Prashikshan (Nirsan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 4, 2014:–

THE UTTAR PRADESH VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (REPEAL) ACT, 2014

(U.P. ACT NO. 6 OF 2014)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

o repeal the Uttar Pradesh Vocational Education and Training Act, 2010.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Vocational Education and Training (Repeal) Act, 2014.

Repeal of U.P. Act no. 20 of 2010

2. The Uttar Pradesh Vocational Education and Training Act, 2010 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Vocational Education and Training Act, 2010 (U.P. Act no. 20 of 2010) was enacted to provide for the establishment and constitution of a Board of Vocational Education and Training in Uttar Pradesh with a view to producing the skilled workers and making them employable by providing Vocational Education and Training, giving opportunities to school dropouts from traditional education stream by providing them Vocational Education and Training so as to enable them for suitable employment, giving Vocational Education and Training opportunities for highly qualified but unemployed fellows in order to minimise their large numbers, giving option to those who are unemployed in order to impact on uncontrolled population growth, excessive pressure on agricultural land leading to decreasing employment opportunities therein. Since the duties and functions of the Board provided under the said Act are now being substantively performed and discharged successfully by the Uttar Pradesh Skill Development Misson and also by Vyavasayik Pariksha Parishad, U.P., there is no need to establish the Board under the said Act. It has been, therefore, decided to repeal the said Act.

By order,
S.B. SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 813 राजपत्र (हि0)–2014–(1830)–599 (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 141 सा० विधायी–2014–(1831)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)